भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं0 *56

22 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

सेन्ट्रल विस्टा परियोजना

***56. श्री टी.आर. बालू:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विनियामक संस्थाओं को तोड़मरोड़ कर जिस व्यापक तरीके से सेन्ट्रल विस्टा परियोजना को विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में विभक्त किया गया है उसका अर्थ यह है कि इन अधिकांश घटक परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय मंजूरी अथवा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक जांच की अनदेखी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

सेन्ट्रल विस्टा परियोजना के संबंध में दिनांक 22.07.2021 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 56 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): जी, नहीं। सेंटर विस्टा मास्टर प्लान के विकास/पुनर्विकास के तहत सभी परियोजनाओं को पर्यावरण अनुमति (ईसी) सहित मौजूदा विधियों/उपविधियों के अनुसार उचित प्रक्रियाओं का पालन करने और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् शुरू किया गया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 17 जून, 2020 के पत्र के द्वारा नए संसद भवन के लिए ईसी प्रदान किया गया था। सेंटर विस्टा मास्टर प्लान के विकास/पुनर्विकास के भाग के रूप में अन्य परियोजनाओं के लिए दिनांक 31 मई, 2021 को ईसी प्राप्त किया गया है, जिनमें विधियों/उपविधियों की आवश्यकता के अनुसार एक व्यापक आवेदन के माध्यम से कॉमन केंद्रीय सचिवालय भवन और केन्द्रीय सम्मेलन केन्द्र, प्रधानमंत्री निवास, विशिष्ट सुरक्षा समूह (एसपीजी) भवन और उपराष्ट्रपति का एन्क्लेव शामिल हैं।

ईसी प्राप्त करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान की सभी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन किए गए, जो विभिन्न चरणों में हैं। इस अध्ययन में, उन परियोजनाओं के अतिरिक्त जिनके लिए ईसी आवेदन किया गया था, कार्यकारी एन्क्लेव (प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय सहित) में प्रस्तावित भवनों के पर्यावरणीय प्रभाव एवं नए संसद भवन (जिनके लिए ईसी दिनांक 17 जून, 2020 को पहले ही प्राप्त हो चुका है) के जारी निर्माण को भी शामिल किया गया है। इस अध्ययन के आधार पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) के विचार के लिए एक व्यापक ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ईएसी ने ईआईए रिपोर्ट की जांच के पश्चात् ईसी की सिफारिश की। नियत प्रक्रिया के पश्चात् पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 31 मई, 2021 के पत्र द्वारा पर्यावरणात्मक मंजूरी प्रदान की गई।

******